

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी- शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 03/2018

दायर दिनांक - 11/01/2018

निर्णय दिनांक - 21/05/2018

अनवान

1. कालीबाई बेवा हजारी भील निवासी मदारा तह०- रेलमगरा

वादीया

बनाम

1. गुलाबीबाई पति भुरा भील निवासी ईकराम कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली रावत भाटा जिला चित्तौडगढ  
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादीया ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पति के नाम पर संयुक्त खतेदारी व अधिपत्य की ग्राम खण्डेल के आराजी संख्या 340, 341, 342, 343, 339 कुल किता-05 कुल रकबा 17-10 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें वादीया का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा अंकित है। जिससे संयुक्त हिस्सा होने से वादीया अपनी कृषि भूमि का सही रूप से उपयोग उपभोग एवं विकास नहीं कर पा रही है। भूमि के विकास हेतु विभाजन आवश्यक होने से वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली प्रारम्भिक डिक्री पालना में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत लापस्या पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपनी अनुशंषा के प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादीया ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीया का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	भूरा पिता लालु भील सा० कुरज खातेदार	340 339/1 339/2	01-02 01-05 03-06	0.55 0.37 0.99
	योग	किता -03	05-13	1.91


२१०७  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)

2.	कालीबाई पत्नि स्व० हजारी भील सा० मदारा खातेदार	341	02-15	6.05
		342	01-16	3.96
		343	02-02	5.37
		339 मीन	04-07	0.87
		<b>योग</b>	<b>किता -04</b>	<b>11-00</b>
3.	भूरा पिता लालू भील सा० कुरज, कालीबाई पत्नि स्व० हजारी भील सा० मदारा खातेदार	339/3	00-07	0.10
		<b>योग</b>	<b>किता -01</b>	<b>00-07</b>

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प

पर सुनाया गया।

  
 (शक्ति सिंह भाटी)  
 सहायक कलक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
 न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
 पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०  
 राजस्व वाद संख्या :- 03/2018  
 अनवान

वादी पक्ष :-

1. कालीबाई बेवा हजारी भील निवासी मदारा तह० रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. गुलाबीबाई पत्नि भुरा भील निवासी ईकाराम कॉलोनी ,पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली रावत भाटा जिला चित्तोडगढ

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- कुलदीप सिंह


प्रतिवादी की ओर से :-

मैं इस आशय मे दिनांक 21/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम खण्डेल के आराजी संख्या 340, 341, 342, 343, 339 कुल किता - 05 कुल रकबा 17-10 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क्र०स०	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	भूरा पिता लालू भील सा. कुरज खातेदार	340 339/1 339/2	01-02 01-05 03-06	0.55 0.37 0.99
	योग	किता - 3	05-13	1.91
2.	काली बाई पत्नि स्व० हजारी भील सा० मदारा खातेदार	341 342 343 339 मीन	02-15 01-16 02-02 04-07	6.05 3.96 5.37 0.87
	योग	किता - 04	11-00	16.25
3.	भूरा पिता लालू भील सा० कुरज, कालीबाई पत्नि स्व० हजारी भील सा० मदारा खातेदार	339/3	00-07	0.10
	योग	किता - 1	00-07	0.10

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड मे पृथक -पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 21/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।

  
 (शक्ति सिंह भाटी)  
 सहायक कलक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा

